

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित )

11 / 2022

02.09.2022

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

जरिये सूरजभान सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक  
- प्रार्थी

बनाम

फर्म देव मिष्ठान वार्ड नम्बर 01 भरडा सुरेली रोड अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक  
- अप्रार्थी

जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम  
1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

1- पेराकार सरकार -प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.02.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 09.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक, उनियारा के साथ फर्म देव मिष्ठान वार्ड नम्बर 01 भरडा सुरेली रोड अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौकें पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	110173	(HP)	14.2	16.04	19.09	3.5
02	129617	(HP)	14.2	15.06	17.08	2.2
03	159613	(HP)	14.2	15.09	29.04	13.05



  
जिला कलेक्टर  
- टोंक

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलिण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 19.02kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौरान बहस कथन किया कि दिनांक 09.08.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक, उनियारा के साथ फर्म देव मिष्ठान वार्ड नम्बर 01 भरडा सुरली रोड अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 kg) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर गिराज प्रसाद गुर्जर पुत्र नेनुलाल गुर्जर निवासी ग्राम देवरी पोस्ट खोहल्या तहसील उनियारा मालिक फर्म देव मिष्ठान वार्ड नम्बर 01 भरडा सुरली रोड अलीगढ तहसील उनियारा जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 19.02kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु गोमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री मनोज चतुर्वेदी पुत्र श्री सन्तन कुमार निवासी वार्ड 14 ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नही करे। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 19.02kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत



जिला कलेक्टर  
टोंक

दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 09.08.2022 के अनुसार फर्म देव मिष्ठान वार्ड नम्बर 01 भरडा सुरेली रोड अलीगढ तहसील उनियारा के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व गैस की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	110173	(HP)	14.2	16.04	19.09	3.5
02	129617	(HP)	14.2	15.06	17.08	2.2
03	159613	(HP)	14.2	15.09	29.04	13.05
						19.2

आकस्मिक जांच करने पर जांच दल द्वारा व्यवसाय स्थल से मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर मनोज मीणा, जगदीश व गिराज के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी मनोज मीणा, गिराज तथा जगदीश के हस्ताक्षर हैं तथा स्वतंत्र गवाह मनोज चतुर्वेदी प्रतिनिधि गोमती सुधा गैस एजेन्सी के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप से नकली घी बनाने में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।



  
जिला कलेक्टर  
दोक

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 3 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 19.2 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर  
टोंक

